मुख्यमंत्री

प्रलिमि्स के लयि:

अवशि्वास प्रस्ताव, मुख्यमंत्री से संबंधति वभिन्नि प्रावधान

मेन्स के लयि:

मुख्यमंत्री की नयिुक्तिऔर कार्यकाल, राज्यपाल और उसकी वविकाधीन शक्तयिाँ, राज्यपाल पद संबंधी ववािद

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **पुष्कर सहि धामी ने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री (CM)** के रूप में शपथ ग्रहण की।

- उन्होंने वर्ष 2022 की शुरुआत में होने वाले वधिानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले ही पदभार ग्रहण कयिा है।

प्रमुख बदिु

नयिुक्ति:

- **संवधिान के अनुच्छेद 164** यह प्रावधान करता है कि **मुख्यमंत्री की नयिुक्ति राज्यपाल करेगा।**
  - **वधिानसभा चुनावों में** पार्टी के एक **बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नयिुक्त कयिा जाता है।**
  - राज्यपाल के पास नाममात्र का कार्यकारी अधकिार है, लेकनि वास्तवकि कार्यकारी अधकिार मुख्यमंत्री के पास है।
  - हालाँकि **राज्यपाल द्वारा प्राप्त वविकाधीन शक्तयिाँ** राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की शक्ति, अधकिार, प्रभाव, प्रतषि्ठा और भूमकिा को कुछ हद तक कम कर देती हैं।
- **एक व्यक्ति जो राज्य वधिानसभा का सदस्य नहीं है, उसे छह महीने के लयि मुख्यमंत्री के रूप में नयिुक्त कयिा जा सकता है,** उस समयसीमा के भीतर उसे राज्य वधिानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, ऐसा न करने पर उसे मुख्यमंत्री पद का त्याग करना होता है।

CM का कार्यकाल:

- मुख्यमंत्री का कार्यकाल नशि्चति नहीं होता है और वह राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।
  - राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त नहीं कयिा जा सकता जब तक कि वधिानसभा में बहुमत प्राप्त होता है।
- यदि वह वधिानसभा में वशि्वास मत खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहयि अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है।

शक्तयिाँ एवं कार्य:

- **मंत्रपिरषिद के संबंध में:**
  - राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तयिों को मंत्री के रूप में नयिुक्त करता है जनिकी सफिारशि मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है।
  - वह मंत्रयिों के बीच वभिागों का आवंटन और फेरबदल करता है।
  - वह पद से इस्तीफा देकर मंत्रपिरषिद का वघिटन कर सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्रपिरषिद का प्रमुख होता है।
- **राज्यपाल के संबंध में:**
  - संवधिान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल और राज्य मंत्रपिरषिद के बीच मुख्यमंत्री एक कड़ी के रूप में कार्य करता है।
  - मुख्यमंत्री द्वारा महाधविक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य चुनाव आयोग आदि के अध्यक्ष और सदस्यों जैसे महत्त्वपूर्ण अधकिारयिों की नयिुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह दी जाती है।
- **राज्य वधिानमंडल के संबंध में:**
  - सभी नीतयिों की घोषणा उसके द्वारा सदन के पटल पर की जाती है।
  - वह राज्यपाल को वधिानसभा भंग करने की सफिारशि करता है।

- **अन्य कार्य:**
    - वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है।
    - वह संबंधति **क्षेत्रीय परिषद** के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है और एक समय में इसका कार्यकाल एक वर्ष का होता है।
    - वह अंतर-राज्य परिषद और **नीति आयोग** का सदस्य होता है, इन दोनों परिषदों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
    - वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है।
    - आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक होता है।
    - राज्य के एक नेता के रूप में वह लोगों के विभिन्न वर्गों से मिलता है और उनकी समस्याओं के बारे में ज्ञापन प्राप्त करता है।
    - वह सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख है।

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/chief-minister